

टी.एस.पी.
संख्या-2658/111-2/05-17(प्र.जा.)/06

प्रेषक,
टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामे,
मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 25 सितम्बर, 2006

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-07 में टी.एस.पी. योजना के अन्तर्गत 22 (बाईस) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपको द्वारा उपलब्ध कराये गये 22 कार्यों के रुपये 1867.21 लाख की लागत के आगणनों पर टी.एस.पी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रुपये 1865.19 लाख (रुपये अठारह करोड़ पैंसठ लाख उनीस हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 2.20 लाख (रू0 दो लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
10. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य शासकीय आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ

प्रस्तुत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक- 31.03.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

12. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

13. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में समाज कल्याण विभाग के अनुदान सं०-31-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-796- जनजातिय क्षेत्र उपयोजना-01- नया निर्माण कार्य-00-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-618/XXVII/(2)/2006 दिनांक 21 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- 22 कार्यों की सूची।

भवदीय

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2698(1)/111-2/06, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
5. मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ/गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा/पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।
10. गार्ड बुक।

काया प्रति प्रमाणित
Ranvir
सहायक अभियन्ता
ज. प्रग. लो. नि. वि.
महिय (कालसी)

आज्ञा से,

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

Photo Copy attested.

Ranvir
Assistant Engineer
J. Div. P. W. D.
Sahiyra (Kalsi)

शासनादेश संख्या 2658/111(2)/06-17(प्र.आ.)/06 दिनांक 25 सितम्बर, 2006 का संलग्नक
(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी०ए०सी० वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	देहरादून में टी०ए०सी० के अन्तर्गत दारागाड़-कधियान मोटर मार्ग से किस्तूड़ हल्का वाहन मार्ग का मो० मार्ग में परिवर्तन (मु.म.घो.)	7.00	135.80	135.80	0.10
2.	देहरादून में क्वांसी डामटा मोटर मार्ग का विस्तार किमी० 23 से 27.5 तक (मु.म.घो.)	5.50	89.10	89.10	0.10
3.	देहरादून में रावना पुरोडी मोटर मार्ग का नव निर्माण	6.00	97.20	97.20	0.10
4.	देहरादून में बिरमऊ काण्डी से बिरमऊ ह०वा० मार्ग का मो० मार्ग में परिवर्तन एवं पक्कीकरण	4.00	77.60	77.60	0.10
5.	देहरादून में अणु-चिल्हाड़ ह०वा० मार्ग का 5.95 मी० के पक्के मोटर मार्ग में सुधार	3.00	58.20	58.20	0.10
6.	देहरादून में जोशीगोधान मोटर मार्ग का नवनिर्माण 5.95 मी० चौड़ा (किमी० 1-3)	3.00	35.70	35.70	0.10
7.	मंसूरी चकराता मोटर मार्ग से लखवाड़ मंदिर तक मोटर मार्ग का पुर्ननिर्माण एवं सुधार कार्य	1.5	21.30	21.30	0.10
8.	चकराता लाखामण्डल मार्ग के किमी० 61 (लाखामण्डल आबादी भाग) का सुधार एवं पक्की नाली का निर्माण	1.00	10.80	10.58	0.10
9.	देहरादून में नागथात से बिसोई ह०वा० मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं पक्कीकरण	4.00	77.60	77.60	0.10
10.	देहरादून में शम्भू की चौकी से पंजिया सम्पर्क मार्ग का बनसाड तक विस्तार	6.00	97.20	97.20	0.10
11.	देहरादून में डांडा टिकरी देसंऊ-देऊ मोटर मार्ग का नव निर्माण	3.00	48.60	48.60	0.10
12.	चमोली में माडा से बामणी गांव तक 3 किमी० मोटर मार्ग एवं 70 मी० स्पांन मोटर सेतु	3.00 + 1 सेतु	228.90	228.90	0.10
13.	देहरादून में मांगटी-पोखरी-ककनोई ह०वा० मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं उपरोक्त मार्ग में आर.सी.सी. सेतु निर्माण	5.00+ 20 मी० सेतु	151.95	151.95	0.10
14.	देहरादून में काण्डा-बुनाड मोटर मार्ग का पुर्ननिर्माण एवं सुधार कार्य	4.00	73.20	73.20	0.10
15.	पिथौरागढ़ में तहसील मुख्यालय धारचूला शहर के आन्तरिक मार्गों का पुनः निर्माण	--	66.46	64.66	0.10

32

16.	देहरादून में सारनी मोटर मार्ग का निर्माण	3.50	56.70	56.70	0.10
17.	देहरादून में त्यूनी-चकाराता मोटर मार्ग से भंगार सम्पर्क मार्ग का विस्तार	4.00	64.80	64.80	0.10
18.	देहरादून में बिरमऊ मार्ग का विस्तार	6.50	105.30	105.30	0.10
19.	देहरादून में मागटी-पोखरी-कंकनोई मोटर मार्ग से कचटा तक मोटर मार्ग का विस्तार	13.00	210.60	210.60	0.10
20.	देहरादून में (फेज-1) खारसी सम्पर्क मोटर मार्ग से इन्द्रोली, कन्दाड़ मोटर मार्ग का विस्तार	3.00	48.60	48.60	0.10
21.	देहरादून में खारसी मार्ग से मोहना मार्ग का चौड़ीकरण एवं पक्कीकरण	3.00	54.90	54.90	0.10
22.	देहरादून में पुरोड़ी-टगरी मोटर मार्ग का दोऊ तक विस्तार	3.50	56.70	56.70	0.10
कुल योग			1867.21	1865.19	2.20

(रुपये दो लाख बीस हजार मात्र)

(टी० प्र० पन्त)
संयुक्त सचिव।

Photo Copy attested ..

[Signature]
Assistant Engineer
Jy. Div. P. W. D.
Sahiya (Kalsi)

आफि प्रति प्रमाणित
[Signature]
सहायक अभियन्ता
इ. प्रवृत्ति नि. वि.
मोहरा (कासली)